Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26) मु०:- 111/2025

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

रामकरण बनाम हरचन्द वगै0

अपील संख्या अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 111/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.8.25	अपील श्री मुकेश तेहरिया अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिस्से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 28/25 हरचंद बनाम रामकरण वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.2.25 के विरूद्व पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक पक्षीय आदेश है। जो अपीलांट को बिना सुने ही एक पक्षीय मे पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से होती है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 28/25 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.2.25 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन उनवानी प्रकरण मे नियत दिनांक 4.9.25 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब पेश करे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचन करते हुए हस्तगत प्रकरण का अन्दर 3 माह मे अंतिम निस्तारण करे। हस्तगत अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner